भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3935

12 अगस्त, 2026 के लिए प्रश्न

खाद्यान्न भंडार की स्थिति और खरीद

3935. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्रीमती हिमाद्री सिंह:
श्रीमती कमलजीत सहरावत:
श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव:
श्री विजय बघेल:
श्री बलभद्र माझी:
डॉ. राजेश मिश्रा:
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:
श्री आलोक शर्मा:
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, ओडिशा सहित देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत वितरित खाद्यान्नों के लिए गुणवत्ता निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित किए जाने वाले खाद्यान्नों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और क्या उपाय किए गए हैं तथा नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, ओडिशा एवं सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में उनका क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): विभाग ने भारत सरकार के विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्नों की खरीद से लेकर वितरण तक गुणवत्ता मानकों को एकसमान रूप से बनाए रखने के लिए एक गुणवत्ता नियंत्रण नियमावली तैयार करके जारी की है।

(ग): चावल की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने दिनांक 01.07.2026 को प्रधानमंत्री अनाज कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) के तहत कच्चे चावल में 10% तक टूटे हुए दाने और उसना चावल में 5% तक टूटे हुए दाने वाले उन्नत गुणवत्ता वाले चावल की राष्ट्रव्यापी आपूर्ति को स्वीकृति प्रदान की है। इसे अगले दो वर्षों में (केएमएस 2027-28 तक) चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।
